न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार के समक्ष।

लेफ्टिनेंट. कर्नल. (अब मेजर) गियान सिंह ढिल्लों
*(*सेवानिवृत्त*), — याचिकाकर्ता*

बनाम

भारत संघ और अन्य, — *उत्तरदाता*

C.W.P. सं. 1619 सन् 1989

13 दिसंबर, 2006

भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद 226-सेना अधिनियम, 1950 — Ss. 63 और 109 — सेना के नियम, 1954 — नि. 37 और 71 — सेना में 20 साल से अधिक की सेवा के बाद याचिकाकर्ता असम राइफल्स में प्रतिनियुक्त पर तैनात किया —याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ अनियमितताओं के आरोप — सामान्य सेना न्यायलय ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही की और दण्ड दी — क्या सेना के अधिकारियों के पास पर्याप्त अधिकार क्षेत्र का अभाव था और सेना न्यायलय करने का एकमात्र अधिकार असम राइफल्स का था क्योंकि याचिकाकर्ता असम राइफल्स में प्रतिनियुक्त था — यह दलील कि संयोजक प्राधिकरण ने संयोजक आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किए को याचिकाकर्ता द्वारा सेना न्यायलय या पूर्व पुष्टि याचिका में भी नहीं की गई — सेना न्यायलय द्वारा मुक़दमा रद्द होना चाहिए जब किसी अधिनियम के अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन हुआ हो जिस से न्याय का परिणामस्वरूप घोर विफलता हो सकती है — याचिकाकर्ता यह दिखाने में विफल रहा कि सेना न्यायलय बुलाने में जिसके अन्तर्गत संयोजक प्राधिकरण द्वारा परिपत्र पर हस्ताक्षर न करने की अनियमितता के कारण कोई पूर्वाग्रह हुआ है - याचिका खारिज।

अभिनिर्णित कि, नागालैंड में 11 जुलाई, 1988 को दण्ड का आदेश पारित किया गया था जिसे बाद में याचिकाकर्ता को मोहाली (जिला रोपर) में सूचित किया गया था। प्रख्यापन को प्रभावी नहीं समझा जा सकता था जब तक पुष्टि पूरी नहीं हो जाती। निष्कर्ष और दण्डादेश की पुष्टि तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि उनका नियमों के नियम 71 में जैसे प्रदान किया गया है वैसे प्रख्यापन नहीं होता। अंतः, यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा जैसा कि प्रदान संविधान के अनुच्छेद 226 (3) में प्रदान किया गया है याचिकाकर्ता को 11 जुलाई, 1988 के आदेश की पुष्टि और घोषणा पर उपलब्ध हो गया है जिसे बाद में मोहाली (जिला रोपर) में सूचित किया गया, जो इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर है।

(पैरा 10)

इसके अतिरिक्त अभिनिर्णित, याचिकाकर्ता द्वारा नियमों के नियम 37 (3) के उल्लंघन के बारे में दलील नहीं ली गई या पूर्व पुष्टि याचिका में भी यह दलील नहीं की गई। कारण स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का मामला यह है कि संयोजक आदेश को जीओसी 8 माउंटेन डिवीजन द्वारा पारित किया गया है। नियमों का नियम 41 यह बताता है कि सेना न्यायलय की कार्यवाही का आयोजन कैसे किया जाए। अदालत के संयोजन पर आयोजन आदेश, इसके साथ आरोप-पत्र और साक्ष्य का सारांश और न्यायालय की सेवा में नियुक्त अधिकारियों के श्रेणी, नाम और कोर भी अदालत के समक्ष दिया जाता है और न्यायालय तब स्वयं को संतुष्ट करता है कि वह कानूनी रूप से गठित है। नियमों के नियम 44 में कहा गया है कि न्यायालय को आयोजन करने का आदेश और पीठासीन अधिकारियो के नाम अभियुक्त को पढ़े जाने है और उससे पूछा जाना चाहिए कि क्या उसे न्यायालय में बैठे किसी भी अधिकारी द्वारा मुक़दमा चलाने में कोई आपत्ति है। अगर अभियुक्त को कोई आपत्ति उठाता है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए और नियमों के अनुसार निपटाया जाना चाहिए। नियम 37 के उल्लंघन की कोई दलील नहीं दी गई है।

(पैरा 19)

इसके अतिरिक्त अभिनिर्णित, याचिकाकर्ता यह दिखाने में विफल रहा कि सेना न्यायलय बुलाने में जिसके अन्तर्गत जीओसी द्वारा परिपत्र पर हस्ताक्षर न करने की अनियमितता के कारण कोई पूर्वाग्रह हुआ है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि सेना न्यायलय द्वारा मुक़दमे को निष्फल केवल तब किया जा सकता है जब अधिनियम के किसी भी अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन हो जिस के परिणामस्वरूप न्याय की घोर विफलता हो।

(पैरा 21)

गुरनाम सिंह, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए।

गुरप्रीत सिंह, केंद्र सरकार का स्थायी अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार।

(1) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की याचिका में की गई प्रार्थना सामान्य सेना न्यायलय कार्यवाही को ख़ारिज करने के लिए है जिसे

याचिकाकर्ता के खिलाफ आयोजित किया गया था, जिसका सामान्य अधिकारी कमांडिंग, 8 माउंटेन डिवीजन सी / ओ 99 एपीओ-प्रतिवादी सं. 3 के आदेशों के तहत संयोजन किया गया था। ख़ारिज का मुख्य आधार है कि प्रतिवादी सं. 3 द्वारा सेना न्यायलय के संयोजन के लिए पर्याप्त अधिकार क्षेत्र का अभाव था क्योंकि वह मुक़दमा का आदेश देने के लिए सक्षम नहीं था क्योंकि याचिकाकर्ता असम राइफल्स में प्रतिनियुक्त था।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अक्टूबर, 1963 में सेना में आपातकालीन आयोग दी गई थी। 20 से अधिक वर्षों तक सेवा देने के बाद, उन्हें वर्ष 1983 में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर नियुक्त और पदोन्नत किया गया और असम राइफल्स पर प्रतिनियुक्त पर तैनात था। यह दावा किया जाता है कि असम राइफल्स एक बल है जिसे सेना से स्वतन्ता केंद्र सरकार के अधिकार के तहत स्थापित और बनाए रखा जाता है। तदनुसार, उन्होंने 4 जुलाई, 1983 को 14 असम राइफल्स की कमान का पदभार संभाला। यह दावा किया कि असम राइफल्स के साथ अपने प्रतिनियुक्ति के दौरान, याचिकाकर्ता सभी उद्देश्यों के लिए असम राइफल्स का हिस्सा और भाग बन गया था और इसलिए, असम राइफल्स के अधिकार क्षेत्र और नियंत्रण के अधीन था, जो सेना के कमांडर और प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

(3) जब याचिकाकर्ता कुछ निश्चित प्रतिनियुक्ति पर था तब उसके खिलाफ अनियमितताएं बताई गईं, जिन्हें जाँच न्यायालय द्वारा आगे बढ़ाया गया और जांच की गई। जाँच के दौरान याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ अधिकारियों ने पूछताछ की, जिनका आखिरकार याचिकाकर्ता के सेना न्यायलय में समापन हुआ। चार में से तीन आरोप सेना अधिनियम, 1950 (संक्षिप्तताके लिए, 'अधिनियम')की धारा 63 के तहत दंडनीय थे। यह उल्लेख करना उचित है कि पहला आरोप याचिकाकर्ता के खिलाफ यह था कि उसने आधिकारिक रजिस्टर के 2/3 पृष्ठ फाड़ दिए थे। वह उस आरोप में दोषी नहीं पाया गया था। दूसरा आरोप यूनिट कैंटीन से नागरिकों को शराब की बिक्री की अनुमति के लिए था। तीसरा आरोप यह था कि याचिकाकर्ता ने 14 बटालियन असम राइफल्स को आदेश देते समय अनुचित तरीके से रुपये 2,637, सरकारी निधान में 1200 अधिशेष गनी बैग की बिक्री आय, को जमा नहीं किया गया। चौथा आरोप यह था कि याचिकाकर्ता असम राइफल्स प्रशिक्षण केंद्र दिमापुर, से 25 से 26 फरवरी, 1986 तक बिना छुट्टी के अनुपस्थित था। याचिकाकर्ता ने 2, 3 और 4 के आरोप पर दोषी होने का तर्क प्रस्तुत किया।

सामान्य सेना न्यायलय की कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता को चार में से तीन आरोपों का दोषी पाया गया और सामान्य सेना न्यायलय ने याचिकाकर्ता को निम्नलिखित दण्ड दिए: -

(क) ज़ब्ती: पेंशन के उद्देश्य के लिए 4 साल की पिछली सेवा को जब्त करना।

(ख) गंभीर भर्त्सना: गंभीर रूप से भर्त्सना दी जाए।

(ग) रुकावट: वेतन और भत्ते की रुकावट के तहत रखा जाए जब तक वह रुपये 2,637, सरकारी निधान में 1200 अधिशेष गनी बैग की बिक्री आय, को जमा न करवाए।

(4)उनकी पूर्व पुष्टि याचिका को पुष्टिकरण प्राधिकरण द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि इसमें पदार्थ की कमी है और निष्कर्षों एवं 28 अप्रैल, 1988 के दण्डादेश को पुष्टि दी गई थी। 11 जुलाई, 1988 के दण्डादेश को उस तिथि का पंजीकृत ए.डी.पत्र भेजकर प्रख्यापित किया गया।

(5) याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वह सामान्य सेना न्यायलय द्वारा मुक़दमे से पहले से असम राइफल्स प्रशिक्षण बटालियन में अधिकारी कमांडिंग ट्रेनिंग के रूप में तैनात है, इसलिए सेना का कोई प्रशासनिक या अनुशासनात्मक नियंत्रण नहीं है। याचिकाकर्ता शुरू में प्रतिवादी सं. 5 के पत्र दिनांक 27 जनवरी, 1986 के अनुसार मुख्यालय नागालैंड रेंज (दक्षिणी क्षेत्र) में संलग्न था, हालांकि, उपाबंद आदेश 27 फरवरी, 1986 को रद्द कर दिया गया था। यह है दावा किया गया कि केवल असम राइफल्स के महानिदेशक, न की कोई सेना प्राधिकरन, सेना न्यायलय का संयोजन करने के लिए सशक्त थे। संयोजन आदेश की एक प्रति 14 जनवरी, 1988 (P-1) उल्लेख करती है कि याचिकाकर्ता असम राइफल्स प्रशिक्षण केंद्र डिमापुर में थे और मुख्यालय 5 सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ था, जो कि मुख्यालय नेगलैंड रेंज (दक्षिणी क्षेत्र) का दूसरा नाम है, इसलिए, वह किसी भी सेना प्राधिकरण के नियंत्रण में नहीं था। याचिकाकर्ता ने अपने ही मामले में गौहाती उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ के फैसले शीर्षक **लेफ्टिनेंट. कर्नल जी.एस. ढिल्लों** *बनाम* **भारत का संघ और अन्य (1)** पर भी निर्भरता रखी है जो तत्काल सेना न्यायलय से उत्पन्न हुआ।

(1) 1987 Labour Industrial Cases 1264

रिट याचिका चलाने की क्षमता :

(6) इस न्यायालय की प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के आधार पर उत्तरदाताओं के विद्वक अधिवक्ता ने प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए यह तर्क दिया कि कार्रवाई का कोई हिस्सा न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि मुक़दमे का आयोजन कोहिमा (नागालैंड), गुवाहाटी में किया गया था। आरोपों को पढ़ा गया और साक्ष्य दर्ज किए गए थे। उनके तर्क के समर्थन में, विद्वक अधिवक्ता ने इस न्यायालय के खण्ड न्यायपीठ का मामला **रविंदर सिंह** *बनाम* **एफसीआई (2)** के निर्णय पर निर्भरता बनाई है और तर्क दिया कि अगर उत्तरदाताओं द्वारा पारित आदेश को प्रख्यापित किया जाता है तब भी प्रख्यापना का पूरा होना तब माना जाएगा जब प्राधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता पर दण्ड जारी किया जाएगा और यह उपरोक्त प्राधिकरण के नियंत्रण से बाहर है। याचिकाकर्ता द्वारा आदेश की प्राप्ति महत्वहीन होगा और यह उन तथ्यों, जो मामले का कारण बनते है, का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा आदेश की प्राप्ति पर कुछ भी किया जाना आवश्यक नहीं होगा जैसे कि प्रभार को त्यागना या उस दिशा में कोई और कदम।

(7) हालाँकि, श्री गुरनाम सिंह, याचिकाकर्ता के विद्वक अधिवक्ता ने प्रारंभिक आपत्ति का खण्डन करते हुए सेना नियमों, 1954 (संक्षिप्तता के लिए, 'नियम) के 71 नियम के प्रावधानों के साथ सेवा अनुदेश के पैरा 473 का हवाला दिया। विद्वक अधिवक्ता के अनुसार, नियमों का नियम 71 प्रतिवादी पर दायित्व लागू करता है कि आरोप, निष्कर्ष, दण्डादेश और दया की किसी भी संस्तुति के साथ कार्यवाही की पुष्टि या गैर-पुष्टि का प्रख्यापन इस अनुसार होना चाहिए जिस प्रकार पुष्टि करने वाले प्राधिकारी निर्देश करे। किसी भी निर्देश की अनुपस्थिति में, प्रख्यापन सेवा से संबंधित प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार होगा। उसने यह भी प्रस्तुत किया है कि नियम यह भी कहता है कि जब तक प्रख्यापन को प्रभावित नहीं किया जाता तब तक पुष्टि पूरी नहीं होती है और निष्कर्ष और दंडादेश को स्थायी तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक वह प्रख्यापित नहीं किए जाते। श्री गुरनाम सिंह, विद्वक अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ द्वारा रविंदर सिंह *(Supra)* के मामले में लिया गया निर्णय याचिकाकर्ता के प्रस्तुत मामले पर लागू नहीं है क्योंकि दंडादेश की पुष्टि पूरी नहीं

(2) 2003 (3) S.C.T. 706

हुई है जब तक उसे प्रख्यापित न किया जाए और याचिकाकर्ता द्वारा आदेश प्राप्त होने तक कोई प्रख्यापन नहीं हो सकता है।

(8) योग्यता पर विचार करने से पहले, पहले क्षेत्रीय अधिकार के अभाव में याचिका बने रहने की स्थिरता के प्रारंभिक आपत्ति से निपटना उचित होगा। मैं इस विचार का हूं कि प्रारंभिक आपत्ति को खारिज किया जाना चाहिए। इसके लिए नियमों के नियम 71 और सेवा अनुदेश के पैरा 71 को संदर्ब में लिया जा सकता है, जिनके संदर्भ की सुविधा के लिए यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है: —

नियमों के नियम 71 :

"71. उद्घोषणा--- आरोप, निष्कर्ष, और सजा, और दया की कोई भी सिफारिश, कार्यवाही की पुष्टि या गैर-पुष्टि के साथ, इस तरह से प्रख्यापित की जाएगी जैसा कि पुष्टि करने वाला प्राधिकारी निर्देशित कर सकता है; और यदि कोई निर्देश नहीं दिया जाता है, तो सेवा की रीति के अनुसार। जब तक उद्घोषणा प्रभावी नहीं हो जाती, तब तक पुष्टि पूरी नहीं होती है और निष्कर्ष और सजा की पुष्टि तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक कि उन्हें प्रख्यापित नहीं किया जाता है।

X X X X X X X X X

"473. उद्घोषणा--- **(a)** आरोप, निष्कर्ष, और सजा, और दया की कोई भी सिफारिश, अगर कोई हो तो, और सेना न्यायलय की कार्यवाही की पुष्टि या गैर-पुष्टि अभियुक्त को हर मामले में प्रख्यापित किया जाएगा जैसा की निमांलिखित प्रकार में है। प्रख्यापन की तारीख कार्यवाही में दर्ज की जाएगी :-

(i)अधिकारियों — कार्यवाही का विवरण अभियुक्त को गठन कमांडर द्वारा कमांडिंग अधिकारी और ऐसे अन्य कर्मचारियों जिन्हें वह आवश्यक समझता है की उपस्थिति में पढ़ा जाएगा। अगर उसे कैशिंग या पढ़च्युति का दण्ड सुनाया गया है, उसे से श्रेणी चिह्न और सभी रेजिमेंटल प्रतीक चिन्ह से छीन लिया जाएगा।

(ii) JCOs, WOs और **OR ---** कार्यवाही का विवरण अभियुक्त को कमांडिंग अधिकारी द्वारा ऐडज़ुटेंट और दल के प्रधान JCO की उपस्थिति में पढ़ा जाएगा। अगर उसे पढ़च्युति या श्रेणी या निम्न

श्रेणी या वर्ग तक अधीन करने का दण्ड सुनाया गया है, उसे से श्रेणी चिह्न और सभी रेजिमेंटल प्रतीक चिन्ह से छीन लिया जाएगा।

सामान्य और जिला सेना न्यायलय की कार्यवाही का मेजर से नीचे की श्रेणी के अधिकारियों द्वारा आदेशित इकाइयों में प्रख्यापन गठन कमांडरों द्वारा किया जाएगा।

यदि पुष्टि प्राधिकरण को ठीक लगता है, तो वह आदेश दे सकता है की प्रख्यापन ऐसे स्थान पर ऐसे परेड में उस रूप में की जाये जैसा वह तय करे। सारांश सेना न्यायलय के मामलों में, इकाई का कमांडिंग अधिकारी परेड के दौरान प्रख्यापन का आदेश दे सकता है।

(b)सभी सेना न्यायलय के परिणाम सभी संरचनाओं के आदेश जिसमें संयोजन की सूचना है में प्रकाशित किया जाएगा। हर मामले में ऐसे परिणाम अधिकारियों के संबंध में संबंधित इकाई के आदेश में, भाग I के आदेशों में और JCOs, WOs और OR, के मामले में भाग II में आदेश प्रकाशित किए जाएँगे (पैरा 584 देखें)।

(c)अगर, दोषसिधि के बाद लेकिन प्रख्यापन होने से पहले, अभियुक्त अनुपस्थित हो, और जाँच नैयायलय द्वारा सेना अधिनियम की धारा 106 के तहत उसके संबंध में घोषणा की जाए, सेना न्यायलय की कार्यवाही पूर्वगामी तथ्यों के प्रकाशन द्वारा प्रचारित किया जा सकता है, अधिकारी के मामले में भाग I आदेश से एक और JCO, WO या OR के अमले में भाग II के इकाई के आदेशों से। हालाँकि, अभियुक्त की हिरासत पर (यदि आगे सेवा के लिए उत्तरदायी है) या आत्मसमर्पण पर इसके बारे में सूचित किया जाएगा।"

(9) नियमों के नियम 71 का अवलोकन यह दर्शाता है कि आरोप, निष्कर्ष, दण्डादेश और दया से संबंधित कोई सिफारिश के साथ कार्यवाही की पुष्टि या गैर-पुष्टि इस तरह से प्रख्यापित की जाएगी जैसा कि पुष्टि करने वाला प्राधिकारी निर्देशित कर सकता है; और यदि कोई निर्देश नहीं दिया जाता है, तो

सेवा की रीति के अनुसार। जब तक उद्घोषणा प्रभावी नहीं हो जाती, तब तक पुष्टि पूरी नहीं होती है और निष्कर्ष और सजा की पुष्टि तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक कि उन्हें प्रख्यापित नहीं किया जाता है। सेना निर्देशों के पारा **473** के उप-पैरा (बी) के अनुसार सभी सेना न्यायलय के परिणाम सभी संरचनाओं के आदेश जिसमें संयोजन की सूचना है में प्रकाशित किया जाएगा। सेना निर्देशों के पारा **473** के उप-पैरा (सी) के अनुसार यह कहा गया है कि दोषसिधि के बाद लेकिन प्रख्यापन होने से पहले, अभियुक्त अनुपस्थित हो, तो सेना न्यायलय की कार्यवायी का प्रख्यापन अनेक प्रकारों के माध्यम से प्रकाशित किया जाना चाहिए और अभियुक्त के हिरासत या आत्मसमर्पण पर इसका तुरंत संचार आवश्यक है।

(10)वर्तमान मामले में, नागालैंड में 11 जुलाई, 1988 को दण्ड का आदेश पारित किया गया था जिसे बाद में याचिकाकर्ता को मोहाली (जिला रोपर) में सूचित किया गया था। प्रख्यापन को प्रभावी नहीं समझा जा सकता था जब तक पुष्टि पूरी नहीं हो जाती। निष्कर्ष और दण्डादेश की पुष्टि तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि उनका नियमों के नियम 71 में जैसे प्रदान किया गया है वैसे प्रख्यापन नहीं होता। अंतः, यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा जैसा कि प्रदान संविधान के अनुच्छेद 226 (3) में प्रदान किया गया है याचिकाकर्ता को 11 जुलाई, 1988 (P-5) के आदेश की पुष्टि और घोषणा पर उपलब्ध हो गया है जिसे बाद में मोहाली (जिला रोपर) में सूचित किया गया, जो इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर है। इसलिए, इस संबंध में न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की प्रारंभिक आपत्ति के दावे को खारिज किया जाता है और मेरा मानना है कि रिट याचिका योग्यता के आधार पर सुनी जानी चाहिए। इसका उल्लेख किया जा सकता है कि इस न्यायालय के खण्ड न्यायपीठ का मामला रविंदर सिंह *(Supra)* का निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर, नियमों के विशिष्ट नियम 71 और सेना के निर्देशों के पैरा 473 को ध्यान में रखते हुए, लागू नहीं होता है जिसके निष्कर्ष यह है कि कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा इन अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ है।

(11) श्री गुरनाम सिंह, याचिकाकर्ता के विद्वक अधिवक्ता के दो विवाद है (क) उन्होंने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता असम राइफल्स में प्रतिनियुक्त था और अंतः वो प्राधिकरण जो सामान्य सेना न्यायलय का संयोजन कर सकता था केवल असम राइफल्स था न की सेवा प्राधिकरण। उपर्युक्त उद्देश्य के लिए

उसने अधिनियम की धारा 8, 191, 192 और 193 पर निर्भरता रखी है। उसका दूसरा विवाद है कि सामान्य सेना न्यायलय एक कानूनी विफलता से पीड़ित है, यद्यपि, यह जूनियर अधिकारी कमांडिंग द्वारा संयोजित की गई है न की मेजर सामान्य जीओसी 8 माउंटेन डिवीजन द्वारा। उस संबंध में, उन्होंने नियमों के नियम 37 (1) (2) और (4) पर निर्भरता रखी है। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मामले **इंद्रजीत कुमार** *बनाम* **भारत संघ (3) तथा भारत का संघ** *बनाम* **हरीश चंद्र गोस्वामी (4)** के निर्णयों पर निर्भरता भी रखी है।

(12) दूसरी ओर,श्री गुरप्रीत सिंह, उत्तरदाताओं के लिए विद्वक अधिवक्ता ने तर्क दिया गया है कि सेना न्यायलय के संयोजन के आदेश से स्पष्ट है कि वह मेजर सामान्य द्वारा संयोजित की गई थी और याचिकाकर्ता द्वारा कोई आपत्ति, वास्तव में, नहीं ली गई थी। विद्वक अधिवक्ता ने प्रपत्रों को संबोधित करते हुए उल्लेख किया है कि जहां कोई दावा कभी नहीं लिया गया तो उसका कोई परिणाम नहीं होगा। उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला **मेजर जी.एस. सोधी** *बनाम* **भारत संघ, (5)** के निर्णय के पैरा 18 पर निर्भरता बनाई है। उन्होंने अधिनियम की धारा 4 पर भी निर्भरता रखी है और तर्क दिया है कि महानिरीक्षक, असम राइफल्स प्रासंगिक तिथि और समय पर सेना के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। उन्होंने वैधानिक नियम और आदेश SRO 318325 पर निर्भरता रखी है। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दो मामले **भारत का संघ** *बनाम* **हिमत सिंह चहर, (6) तथा भारत का संघ** *बनाम* **ए. हुसैन (7)** के निर्णय पर निर्भरता भी रखी है।

(13) सामान्य सेना न्यायलय के संयोजन की शक्ति अधिनियम की धारा 109 द्वारा प्रदान की जाती है, जिसे यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है: —

> **"109.** सामान्य सेना-न्यायालय संयोजित करने की शक्ति-सामान्य सेना-न्यायालय केन्द्रीय सरकार द्वारा या थल सेनाध्यक्षट द्वारा या थल सेनाध्यक्षट के अधिपत्र से इन निमित्त सशक्त किए गए किसी आफिसर द्वारा संयोजित किया जा सकेगा।"

(3) AIR 1997 S.C. 2085
(4) AIR 1999 S.C. 1940
(5) AIR 1991 S.C. 1617
(6) AIR 1999 S.C. 1980
(7) AIR 1998 S.C. 577

(14) उपरोक्त प्रावधान पर विचार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामला इंद्रजीत कुमार *(Supra)* में हुआ। आधिपत्य का दृश्य पैरा 13 से दर्शित है, जिसमें यह कहा गया है कि हर विशिष्ट मामले में सेना-न्यायालय संयोजित करने के लिए थल सेनाध्यक्षट द्वारा अधिपत्र जारी करना आवश्यक नहीं है, लेकिन एक आम अधिपत्र पर्याप्त है। पैरा 13 संदर्भ के लिए पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> " .....सेना अधिनियम की धारा 109 के तहत सामान्य सेना-न्यायालय केवल किसी भी अधिकारी द्वारा का संयोजन जा सकता है जिसे उस संबंध में एक विशिष्ट परिपत्र द्वारा नियुक्त किया गया है। थल सेनाध्यक्ष. उनके अनुसार प्रत्येक मामले में एक विशिष्ट परिपत्र जारी किया जाना चाहिए। सेना अधिनियम की धारा 109 के तहत, थल सेनाध्यक्षट आम अधिपत्र, जैसा प्रस्तुत मामले में किया गया, जारी करने के लिए सक्षम है....."

(15) प्रस्तुत मामले में, यह विवादित नहीं है कि सामान्य अधिकारी कमांडिंग (जीओसी) 8 माउंटेन डिवीजन का सामान्य अधिपत्र के बल पर सामान्य सेना-न्यायालय को संयोजन का अधिकार था। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में दावा किया है कि प्रतिवादी सं. 3 अर्थात् सामान्य अधिकारी कमांडिंग, 8 माउंटेन डिवीजन, सेना न्यायलय को संयोजन करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था चूंकि याचिकाकर्ता सेना की फाइलों के प्रतिनियुक्ति पर था और सेना-न्यायालय को संयोजन का अधिकार महानिरीक्षक, असम राइफल्स अर्थात् प्रतिवादी सं. 4 का था। यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि में याचिका के पैरा 6 में याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि सामान्य अधिकारी कमांडिंग, 8 माउंटेन डिवीजन (प्रतिवादी सं. 3) ने याचिकाकर्ता के संबंध में सेना न्यायलय को संयोजन था हालाकि ऐसा करने का उनके पास अधिकार क्षेत्र नहीं था। इसके बाद, आवेदन दाखिल करके एक और दलील उठायी गई है कि संयोजन आदेश उपाबंद P-1 को लेफ्टिनेंट कर्नल यानी. सहायक एडजुटेंट सामान्य अधिकारी कमांडिंग (जीओसी) 8 माउंटेन डिवीजन द्वारा हस्ताक्षरित पाया गया है और न की जीओसी द्वारा जो स्वयं यह दावा करते है की यह अनिवार्य आवश्यकता है। आरोप है कि यह दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं है की जीओसी द्वारा विवेक का प्रयोग किया गया है, और, इसलिए, पूरे सेना न्यायालय की करवायी को समाप्त कर दिया जाता है और याचिकाकर्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मामला हरीश चंद्र गोस्वामी (Supra) के निर्णय पर निर्भरता बनायी है।

(16) दूसरी ओर, प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है की, मुक़दमा के दौरान या रिट याचिका में कही भी संयोजन आदेश में अनियमितता की दलील की वह जीओसी, 8

माउंटेन डिवीजन, द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। इसके विपरीत, याचिकाकर्ता का मामला, उसकी दलीलों के अनुसार, यह है कि जीओसी, 8 माउंटेन डिवीजन द्वारा संयोजन आदेश जारी किया गया था। नियमों के नियम 37 जो सामान्य सेना न्यायालय के गठन से संबंधित है, निम्न के रूप में पुन: प्रस्तुत किया गया है: —

"37 सामान्य और जिला सेना न्यायालय का आयोजन (1) सामान्य या ज़िला सेना-न्यायालय के आयोजन से पहले अधिकारी को पहले खुद को संतुष्ट करना होगा कि अदालत द्वारा मुकदमा चलाए जाने वाले आरोप अधिनियम के अर्थ के तहत अपराधों के लिए हैं, और साक्ष्य उन आरोपों पर मुकदमे को उचित ठहराते हैं, और यदि इतना संतुष्ट नहीं होने पर, आरोपी को रिहा करने का आदेश देगा, या मामले को वरिष्ठ प्राधिकारी को भेज देगा।

(2) वह खुद को इस बात से भी संतुष्ट करेगा कि मामला उस तरह के सेना-न्यायालय द्वारा चलाया जाना उचित है जिसे वह बुलाने का प्रस्ताव करता है।

(3) सेना-न्यायालय संयोजित करने वाला अधिकारी नैयायलय बनाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करेगा या उनका विवरण देगा और, ऐसे प्रतीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति या विवरण भी कर सकता है, जैसा वह समीचीन समझे। वह यह भी कर सकता है, जहां वह दुभाषिया की सेवाओं को आवश्यक समझता है, अदालत में एक दुभाषिया नियुक्त या विस्तृत कर सकता है।

(4) सेना-न्यायालय संयोजित करने वाला अधिकारी अदालत के वरिष्ठ सदस्य को मूल आरोप-पत्र देगा जिस पर आरोपी पर मुकदमा चलाया जाना है और, जहां कोई न्यायाधीश-अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया गया है, वहां साक्ष्य का सारांश और सेना-न्यायालय की सभा के लिए आदेश की एक प्रति भी देगा।।वह अन्य सभी सदस्यों को भी आरोप-पत्र की प्रतियां और न्यायाधीश-अधिवक्ता को, जब किसी को नियुक्त किया गया हो, आरोप-पत्र की एक प्रति और साक्ष्य के सारांश की एक प्रति भेजेगा।"

(17) सामान्य सेना न्यायलय के संयोजन के लिए नियम में संलग्न फॉर्म में उल्लेखित नोट को पुन: प्रस्तुत करना आवश्यक होगा जिसमें पुष्टि है कि संयोजन आदेश अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके लिए एक कर्मचारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। नोट यहाँ पुन: प्रस्तुत किया गया है: —

> "संयोजन आदेश को संयोजक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए व्यक्तिगत रूप से या "उसके लिए" कर्मचारी अधिकारी सेवा के रिवाज द्वारा अधिकृत उनके आदेशों पर हस्ताक्षर करने के लिए, या एक कर्मचारी अधिकारी द्वारा। संयोजन आदेश की तिथि वह तिथि जिस पर मुक़दमा के आदेश का आरोपपत्र पर संयोजक अधिकारी द्वारा समर्थन किया गया था से पूर्व नहीं होनी चाहिए।"

(18) उपर्युक्त प्रपत्र / नोट को विधिवत माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला **जी.एस. सोधी** *बनाम* **भारत संघ** (supra) के पैरा 18 में अनुमोदित किया गया था जो संदर्भ की सुविधा के लिए पुन: पेश किया जाता है: —

> "18. अब हम सामान्य सेना-न्यायालय में कथित दोषों के बारे में कुछ प्रस्तुतियों पर ध्यान देंगे।अधिनिय की धारा 109 के तहत केंद्र सरकार या सेना प्रमुख या सेना प्रमुख के परिपत्र द्वारा इस संबंध में अधिकार प्राप्त किसी भी अधिकारी द्वारा एक सामान्य सेना-न्यायालय का संयोजन जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जीओसी इन्फैंट्री डिवीजन सामान्य सेना-न्यायालय का आदेश नहीं दे सकता था क्योंकि जीओसी ने भारत सरकार की जांच और अध्ययन किया था और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए जांच निर्देश दिए थे और एक एसओई दर्ज किया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सामान्य सेना-न्यायालय के संयोजन का परिपत्र किसी कर्मचारी अधिकारी को आदेश पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत नहीं करता है। अन्यथा भी संयोजक आदेश पर यांत्रिक तरीके से हस्ताक्षर किए गए हैं और यह कार्यालय में संबंधित व्यक्ति के नाम पर नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि 4 मई, 1989 को कर्नल एसके मैनी ने याचिकाकर्ता को 15 मई, 1989 को होने वाले अपने सेना-न्यायालय के बारे में सूचित किया था, जबकि याचिकाकर्ता को 8 मई, 1989 को आरोप पत्र जारी किया गया था और सामान्य सेना-न्यायालय का संयोजन 15 मई

1989 को किया गया था जबकि कर्नल एसके मैनी ने 10 मई, 1989 को पहले ही अदालत की संरचना का विस्तृत विवरण दे दिया था। विद्वान अधिवक्ता ने पुस्तक के पृष्ठ 361 पर नोट 3 बी से धारा 109 पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया है कि यदि वह अधिकारी जिस पर आदेश दिया गया है डेवोल्व्स उस व्यक्ति का कमांडिंग ऑफिसर है जिस पर मुकदमा चलाया जाना है या एक अधिकारी जिसने मामले की जांच की थी, वह बाद में उसी मामले में संयोजक अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता है लेकिन उसे इसे एक वरिष्ठ प्राधिकारी को भेजना होगा। निवेदन यह है कि 9 इन्फैंट्री डिवीजन के सामान्य ऑफिसर कमांडिंग द्वारा उठाए गए उपरोक्त कदमों के कारण यह माना जाना चाहिए कि उन्होंने मामले की जांच की है, इसलिए वह सामान्य सेना-न्यायालय नहीं बुला सकते थे। रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि सामान्य सेना-न्यायालय बुलाने के आदेश पर 9 इन्फैंट्री डिवीजन के सामान्य ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट कर्नल डीएम जाधव द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।बताया गया है कि वह प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर हैं। इस समर्थन से यह देखा जा सकता है कि उन्होंने सामान्य ऑफिसर के लिए हस्ताक्षर किए हैं। नियमों से जुड़े सामान्य सेना-न्यायालय को बुलाने के फॉर्म में, हमें इस आशय का समर्थन मिलता है कि संयोजक आदेश पर अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके लिए एक कर्मचारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। इसलिए कोई ध्यान देने योग्य दोष नहीं है क्योंकि संयोजक आदेश को अंततः एक वरिष्ठ अधिकारी अर्थात् सामान्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित माना जाता है, न कि उस अधिकारी ने जिसने मामले की जांच की थी।"

(19) निस्संदेह, प्रस्तुत मामले में, याचिकाकर्ता ने नियमों के नियम 37 (3) उल्लंघन के संबंध में कोई दलील नहीं दी, यहां तक की पूर्व-पुष्टिकरण याचिका में भी ऐसी दलील नहीं दी गई है। इसका कारण स्पष्ट है कि यह याचिकाकर्ता का मामला रहा है कि संयोजन आदेश जीओसी 8 माउंटेन डिवीजन द्वारा पारित किया गया था। नियमों का नियम 41 यह बताता है कि सेना न्यायलय की कार्यवाही का आयोजन कैसे किया जाए। अदालत के संयोजन पर आयोजन आदेश, इसके साथ आरोप-पत्र और साक्ष्य का सारांश और न्यायालय की सेवा में नियुक्त अधिकारियों के श्रेणी, नाम और कोर भी अदालत के समक्ष दिया जाता है और

न्यायालय तब स्वयं को संतुष्ट करता है कि वह कानूनी रूप से गठित है। नियमों के नियम 44 में कहा गया है कि न्यायालय को आयोजन करने का आदेश और पीठासीन अधिकारियो के नाम अभियुक्त को पढ़े जाने है और उससे पूछा जाना चाहिए कि क्या उसे न्यायालय में बैठे किसी भी अधिकारी द्वारा मुक़दमा चलाने में कोई आपत्ति है। अगर अभियुक्त को कोई आपत्ति उठाता है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए और नियमों के अनुसार निपटाया जाना चाहिए। नियम 37 के उल्लंघन की कोई दलील नहीं दी गई है। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के खण्ड न्यायपीठ के मामला **राजमल शर्मा** *बनाम* **भारत संघ (8)** के निर्णय पर निर्भरता बनाई गई है**,** जिसमें यह माना गया है कि यदि कोई दलील नहीं दी गई है, तो कोई नींव नहीं रखी गई है और अगर इस मुद्दे को नीचे के अधिकारियों द्वारा नहीं निपटाया गया है, फिर न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने के लिए कोई तथ्य नहीं है। निर्णय का पैरा 9 पुन: प्रस्तुत किया जाता है: —

> "9. उस पर ध्यान देना चाहिए कि अवैधता की प्रकल्पना नहीं की जा सकती है। प्रासंगिक नियम है नियम 41 और 42। उक्त नियम के तहत, न्यायालय के प्रस्तुत होने पर, आयोजन आदेश, इसके साथ आरोप-पत्र और साक्ष्य का सारांश और न्यायालय की सेवा में नियुक्त अधिकारियों के श्रेणी, नाम और कोर भी अदालत के समक्ष दिया जाता है न्यायालय तब स्वयं को संतुष्ट करता है कि वह कानूनी रूप से गठित है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय सुनिश्चित करेगा कि, अगर एक न्यायाधीश-अधिवक्ता नियुक्त किया गया है, तो पता लगाएं न्यायाधीश-अधिवक्ता की विधिवत नियुक्ति की गई है और वह सेना न्यायलय में बैठने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। अगर न्यायालय उक्त रिपोर्ट के अनुपालन के संबंध में संतुष्ट नहीं है, वह संयोजक प्राधिकरण को अपनी राय देगा और उस उद्देश्य के लिए स्थगित होगा। इसी तरह, न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि नियम 41 की आवश्यकताएं का अनुपालन किया गया है और यदि उपरोक्त मामले पर वह संतुष्ट नहीं है, तो संयोजक प्राधिकरण को अपनी राय देगा और उस उद्देश्य के लिए स्थगित होगा। इसलिए, जब सेना न्यायलय उसे प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन करके अपनी जांच के साथ आगे बढ़ाता है, यह प्रकालपना उत्पन्न होगी कि सेना न्यायलय संतुष्ट था कि वह कानूनी रूप से गठित है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (ड.) इस मामले में लागू होगी जो सभी आधिकारिक

कृत्यों को उचित तरीके से में किया गया मानता है। याचिकाकर्ता द्वारा विशेष रूप से संबंधित प्राधिकरण के सामने आपत्ति उठाना और इंगित करना की नियुक्ति सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं की गई है आवश्यक है। विद्वक अधिवक्ता के अनुसार, यह क्षेत्राधिकार का सवाल है और इसे किसी भी समय और यहां तक कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत भी उठाया जा सकता है। परंतु, इसे भुला दिया गया कि क्षेत्राधिकार एक विशेष तथ्य पर निर्भर करता है और इस तरह के तथ्य का गैर-अस्तित्व कथित और दलील होना चाहिए। वर्तमान मामले में ऐसी कोई तथ्यात्मक दलील सेना न्यायलय के समक्ष नहीं उठाया गया है कि नियुक्ति आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया था। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हमारे समक्ष नहीं उठाया जा सकता है।"

(20) याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला हरीश चंद्र गोस्वामी (supra) के निर्णय पर सहारा लिया है जिसमें अभिनिर्णित है कि जब सेना न्यायलय के सदस्य कौन थे या अधिकारी, जो सेना-न्यायालय संयोजित करने के लिए सक्षम था, द्वारा नामित किए गए थे का रिकॉर्ड दिखाने में विफलता सेना न्यायलय की कार्यवाही को ख़ारिज करदेगा। संक्षेप में, सक्षम अधिकारी द्वारा सेना-न्यायालय के संयोजन में विवेक का उपयोग दर्शाने के लिए कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए। सामान्य सेना न्यायलय का रिकॉर्ड, जो हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है यह दर्शाता है कि सेना न्यायलय मेजर सामान्य तलवार हरजीत सिंह, सामान्य अधिकारी कमांडिंग, 8 पर्वत मंडल द्वारा संयोजित की गई थी। संयोजन आदेश, दिनांक 14 जनवरी, 1988, मूल फ़ाइल सं. 6/88 / एएफ पर Ex.`K' है। हरीश चंद्र गोस्वामी मामले (supra) का निर्णय याचिकाकर्ता की किसी भी सहायता का नहीं होगा उसके द्वारा बनाए गए मामले को देखते हुए जिसमें उसके द्वारा यह चुनौती नहीं दी गई कि जीओसी 8 माउंटेन डिवीजन ने सेना न्यायलय को संयोजित नहीं किया है। रिट याचिका में, वह विशेष रूप से अदालत में दलील करता है कि जीओसी 8 माउंटेन डिवीजन द्वारा सेवा-न्यायालय का संयोजन किया गया था लेकिन उनकी शिकायत यह है कि इसे महानिरीक्षक असम राइफल्स द्वारा संयोजित किया जाना चाहिए था क्योंकि वह प्रतिनियुक्ति पर था। याचिकाकर्ता ने सेना न्यायलय के सदस्यों की रचना के आधार पर चुनौती नहीं दी गई कि उन्हें जीओसी 8 माउंटेन डिवीजन द्वारा विधिवत नामांकित नहीं किया गया है यानी विवेक के गैर-अनुप्रयोग की दलील। चूंकि याचिकाकर्ता ने सेना न्यायलय के समक्ष इस दलील नहीं उठायी, उसका निपटारा नहीं किया गया। यहां तक कि पूर्व-पुष्टिकरण याचिका दिनांक 10 फरवरी, 1988 में उक्त दलील नहीं

उठाई गई। रिट याचिका वर्ष 1988 में दायर की गई थी और केवल 18 साल बाद याचिकाकर्ता द्वारा दायर विविध आवेदन दिनांक 28 अगस्त, 2006 में उन्होंने यह दलील दी है कि संयोजक प्राधिकरण ने खुद संयोजन आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किए है।

(21) मामले का एक और पहलू है। न्यायालय द्वारा बार बार पूछे जाने पर भी, याचिकाकर्ता के लिए विद्वक अधिवक्ता यह स्पष्ट करने में विफल रहा कि सेना न्यायलय बुलाने में जिसके अन्तर्गत जीओसी द्वारा परिपत्र पर हस्ताक्षर न करने की अनियमितता के कारण कोई पूर्वाग्रह हुआ है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि सेना न्यायलय द्वारा मुक़दमे को निष्फल केवल तब किया जा सकता है जब अधिनियम के किसी भी अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन हो जिस के परिणामस्वरूप न्याय की घोर विफलता हो। इस संबंध उत्तरदाताओं द्वारा माननीय सर्वोच्च नैयायलय के हिमत सिंह चहर के मामले (supra) के निर्णय के पैरा 5 और ए. हुसैन के मामले (supra) के निर्णय के पैरा 20 पर सही निर्भरता ली गई।

(22) उपरोक्त कारणों से, यह याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज किया जाता है।

R.N.R.

अस्वीकरण: *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।*

रूहेला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा